न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी – अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
26 / 2021	02 / 03 / 2021	19 / 05 / 2023

1.कन्याबाई पत्नि स्व. शिवनारायण जाति कलाल निवासी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. कान्ता पुत्री शिवनारायण जाति कलाल निवासी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. गणेश पारेता पुत्र शिवनारायण जाति कलाल निवासी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
4. चतुर्भुज पारेता पुत्र शिवनारायण जाति कलाल निवासी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज)
5. सन्तोष पुत्री शिवनारायण जाति कलाल निवासी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 92ए, 188 आर. टी. एक्ट

निर्णय

वादीगण द्वारा इस आशय का वाद प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रजोपा तहसील पीपल्दा की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 की खाता संख्या 40 में खसरा संख्या 464 रकबा 2.01है. भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र मे विवादित भूमि संबोधित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रवर्तन में आने के समय धूलीलाल पुत्र गेन्दीलाल जाति ब्राह्मण सा. इटावा विवादित भूमि के गत खसरा संख्या 173 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि के माफीदार (भोक्ता) थे तथा मांगीलाल पुत्र माधो गुजर धूलीलाल का नौकर था। माफी रिज्यूम होने के समय माफीदार धूलीलाल उक्त भूमि पर स्वयं काबिज काश्त होने के कारण कानूनन खातेदार हो गया था।

सत्य प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

कालान्तर में विरासतन उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 129 द्वारा, भूरी बेवा कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी बाराँ की खातेदारी एवम् कब्जे काश्त में चली गई। भूरी बेवा कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी बाराँ द्वारा उक्त खसरा संख्या 173 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15–05–1979 द्वारा वादीगण के पिता एवम् पति शिवनारायण पुत्र गंगाधर जाति कलाल निवासी इटावा को अपने सम्पूर्ण स्वत्वों सहित विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। तदुपरान्त उक्त भूमि पर कैचमेन्ट कार्य सम्पन्न किये जाने से गत खसरा संख्या 173 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि के बाद केचमेन्ट कटौती नवीन खसरा संख्या 713 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि दर्ज अभिलेख किया गया इसी प्रकार बाद बंदोबस्त सम्वत् 2041–2060 उक्त भूमि के नवीन संख्या संख्या 464 रकबा 2.01 है. अंकित किये गये। शिवनारायण पुत्र गंगाधर जाति कलाल निवासी इटावा की मृत्यु हो चुकी है तथा वादीगण ही स्व. शिवनारायण के उत्तराधिकारी एवम् विधिक प्रतिनिधि है तथा विवादित भूमि पर खातेदार के रूप में काबिज काश्त होकर विवादित भूमि का लगातार उपयोग–उपभोग करते हुये चले आ रहे हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रवर्तन के आने के समय विवादित भूमि स्पष्टतः राजकीय भूमि नहीं थी तथा तत्समय धूलीलाल पुत्र गेन्दीलाल जाति ब्राह्मण सा. इटावा विवादित भूमि के माफीदार (स्वामी) थे। माफी रिज्यूम होने के समय माफीदार धूलीलाल उक्त भूमि पर स्वयं काबिज काश्त होने के कारण कानूनन खातेदार हो गया था। कालान्तर मे इस प्रकार राज. काश्तकारी कानून द्वारा प्रदत्त खातेदारी अधिकारों का उपयोग करते हुये तत्कालीन खातेदार भूरी बेवा कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी बाराँ द्वारा विवादित भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15/05/1979 के माध्यम से वादीगण के पिता एवम् पति को अपने सम्पूर्ण स्वत्वों सहित विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। राजस्व विभाग द्वारा विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख मे त्रुटिवश "खाता सरकार" अंकन दर्ज अभिलेख कर दी गई। उक्त "खाता सरकार" अंकन वादीगण के खातेदारी अधिकारो के विरूद्ध वस्तुतः शून्य प्रभावी है। इसलिए वादीगण को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह इस सम्मानीय न्यायालय की सहायता से, विवादित भूमि में हो रहे "खाता सरकार" अंकन को विलोपित करवाये। तदर्थ श्रीमान की सेवा में वाद पत्र प्रस्तुत है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि अवैध रूप से हो रहे "खाता सरकार" अंकित होने से वादीगण को राज्य शासन की कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तथा वादीगण विवादित भूमि पर कृषि ऋण सुविधा इत्यादि प्राप्त कर कृषि विकास भी नहीं कर पा रहे हैं। वाद कारण दिनांक 23/02/2021 को प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा द्वारा राजस्व अभिलेख में हो रही उक्त त्रुटि को दुरस्त कर "खाता सरकार" अंकन को विलोपित

सत्य प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी तहसीलदार तहसील पीपल्दा को धारा 80 दी.प्र.सं. के अधीन विधिक सूचना दिनांक 24/02/2021 को प्रेषित की जा चुकी है। किन्तु वादी की दशाऐं आपातिक है। उक्त अंकन के कारण वादी को उक्त भूमि पर कृषि ऋण प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जिसकी वादीगण को महती आवश्यकता है। इसलिए वाद धारा 80(2) दी.प्र.सं. के प्रावधानों के अधीन प्रस्तुत किया जा रहा वाद नियत न्याय शुल्क 1रू. पर , अवधि मध्य प्रस्तुत है। माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार एवम् क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित विवादित भूमि मे हो रहे "खाता सरकार" अंकन को विलोपित करने तथा वादीगण विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान किया जावे। वाद पत्र के साथ प्रमाणित सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2015–24 खाता संख्या 110 ग्राम रजोपा, प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत् 2035–38 खाता संख्या 107 ग्राम रजोपा, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.05.1979 की फोटोकापी, प्रमाणित प्रतिलिपी फर्द इख्तलाफ ग्राम रजोपा केचमेन्ट रजोपा मय कृषक सूची ग्राम रजोपा खसरा संख्या 713, प्रमाणित नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम रजोपा खसरा संख्या 464, प्रमाणित सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2041–60 खाता संख्या 164 ग्राम रजोपा, प्रमाणित आँनलाइन जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 40 ग्राम रजोपा, विधिक सूचना अर्न्तगत धारा 80दी.प्र.सं. दिनांक 24.02.2021 प्रस्तुत किये गये।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर तहसीलदार तहसील पीपल्दा से जवाब सरकार प्राप्त किया गया। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब सरकार में कथन किया गया कि मुताबिक जमाबन्दी ग्राम रजोपा के खाता संख्या 40 में कन्याबाई पत्नि स्व. शिवनारायण, कान्ता पुत्री, गणेश पारेता पुत्र, चतुर्भुज पारेता पुत्र, सन्तोष पुत्री स्व. शिवनारायण जति कलाल सा. इटावा खातेदार खाता सरकार ख.सं. 464 रकबा 2.01है0 किस्म नहरी प्रथम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उपस्थित पडौसी खातेदारों ने बताया कि उक्त खसरा नम्बर पर उपरोक्त खातेदार ही काश्त कर रहे है। मौके पर आराजी ख.सं. 464 रकबा 2.01है0 पर मौके पर सरसों की फसल खडी है। लगभग 20–25 वर्षो से उपरोक्त खातेदारो द्वारा ही काश्त की जा रही है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार कोई स्थगन नहीं है। अतः उक्त प्रकरण में वांछित जवाब सरकार अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस मे वाद मे अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। खाता सरकार के पश्चात् जमाबन्दी मे खातेदार का नाम दर्ज है। मुताबिक जवाब सरकार भूमि पर वादी का ही कब्जा है। जमाबंदी में खाता सरकार किस कारण दर्ज है यह स्पष्ट करना सरकार पैरोकार का दायित्व था, परंतु सरकार पैरोकार ने अपने जवाब में यह कही स्पष्ट नही किया है कि खाता सरकार जमाबंदी में क्यों लिखा है। खाता सरकार जमाबंदी में लिखा होना औचित्यहीन है।, मुताबिक राजस्व रेकार्ड सेटलमेन्ट के पूर्व से ही वादीगण की जमाबंदी में एन्ट्री है। अतः वैसे भी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादीगण विवादित आराजी के खातेदार कृषक हो गये है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम रजोपा तहसील पीपल्दा की खसरा संख्या 464 रकबा 2.01है. कृषि आराजी पर से "खाता सरकार" अंकन को विलोपित किया जाकर वादीगण को स्पष्ट रूप से खातेदार कृषक उक्तानुसार घोषित किया जाता है। रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)

1.कन्याबाई पत्नि स्व. शिवनारायण जाति कलाल निवासी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

2. कान्ता पुत्री शिवनारायण जाति कलाल निवासी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज)

3. गणेश पारेता पुत्र शिवनारायण जाति कलाल निवासी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

4. चतुर्भुज पारेता पुत्र शिवनारायण जाति कलाल निवासी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज)

5. सन्तोष पुत्री शिवनारायण जाति कलाल निवासी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज)

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 92ए, 188 आर. टी. एक्ट

मिसल न0 26/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु बहाजिरी श्री कमल कुमार बंसल एडवोकेट मिनजाबिन मुद्दई रुबरु ..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम रजोपा तहसील पीपल्दा की खसरा संख्या 464 रकबा 2.01है. कृषि आराजी पर से "खाता सरकार" अंकन को विलोपित किया जाकर वादीगण को स्पष्ट रूप से खातेदार कृषक उक्तानुसार घोषित किया जाता है। रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 19.05.2023 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा